

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, date 26 September, 2017

AMENDMENT


No.F 9-1/2016/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh (Police Personnel Extra Ordinary Family Pension) Rules, 1976, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, in rule 5, after sub-rule (ii), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(ii-a) Benefit of dearness allowances sanctioned by the State Government to Government employees from time to time, shall be provided uniformly."

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh


(Aniruddhe Mukarjee)
Principal Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 2017


क्रमांक: एफ 9-1/2016/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश (पुलिस कर्मचारी-वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति-वेतन) नियम, 1965 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 5 में, उपनियम (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(दो-क) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर शासकीय सेवकों के लिए स्वीकृत मंहगाई भत्तों का लाभ, समान रूप से प्रदान किया जाएगा।”


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुकुर्जी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. समस्त कलेक्टर
6. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
9. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
10. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
18. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
19. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
22. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
23. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
24. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(अजय चौबे)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग